

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 803 सन 2021

अनवान :-

1. हमीद पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महबूब पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मैमुना पुत्री मोजदीन पत्नी रफीक जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सलीम पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नसीरा पुत्री मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 112/8 की कुल 6.5410 हैक् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 111/8 के कुल 0.4910 हैक् में से 1/9 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता मोजदीन पुत्र अब्दुला के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मोजदीन पुत्र अब्दुला के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई इसी प्रकार दुसरे खाते में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा की भूमि है।

वाद भूमि जो मोजदीन पुत्र अब्दुला जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है मोजदीन पुत्र अब्दुला के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का भाई एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं मोजदीन पुत्र अब्दुला की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मोजदीन पुत्र अब्दुला के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है एवं पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 112/8 की कुल 6.5410हैक् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 111/8 के कुल 0.4910हैक् में से 1/9 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पिता मोजदीन पुत्र अब्दुला के नाम से दर्ज थी वादी के पिता मोजदीन पुत्र अब्दुला का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा दुसरे खाते में भूमि मोजदीन पुत्र अब्दुला के नाम से दर्ज है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विरास्तन से पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 112/8 की कुल 6.5410हैक् में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर 3.252हैक् भूमि वादी संख्या 1 एवं 2.277हैक् भूमि वादी संख्या 2 के नाम व शेष 1.0120हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 111/8 के कुल 0.4910हैक् में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक मोजदीन के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमव जयत

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...22 एनटीआर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हमीद पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महबूब पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मैमुना पुत्री मोजदीन पत्नी रफीक जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सलीम पुत्र मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नसीरा पुत्री मोजदीन जाति तेली निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 803 सन 2021 निर्णय दिनांक-25.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 112/8 की कुल 6.5410हैक् में प्रतिवादी संख्या 2,3 का नाम कलमजन किया जाकर 3.252हैक् भूमि वादी संख्या 1 एवं 2.277हैक् भूमि वादी संख्या 2 के नाम व शेष 1.0120हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को एवं रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 111/8 के कुल 0.4910हैक् में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक मोजदीन के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.10.2021को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट....22 एनटीआर.